

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय  
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 335/FIRE SERVICE /2019-A /फायर सर्विस / एन"ओ"सी" /2021/ रायगढ़

दिनांक 24/11/2021

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती SEEMA RANA के परिसर VIJAYPUR, BOIRDADAR RAIGARH (CG) 496001 में स्थित MAHARISHI VIDYA MANDIR का इस विभाग द्वारा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र", पत्र क्रमांक- 335/FIRE SERVICE /2019 दिनांक 06/09/2019 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री नार्गेन्द्र कुमार सिंह द्वारा श्री सुभाष द्विवेदी की उपस्थिति में दिनांक 20/11/2021 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवस्थान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों का प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माफ़ दिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लाइ का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे जो पुनः निरीक्षण योग्य होगी।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से MAHARISHI VIDYA MANDIR में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः SEEMA RANA की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर वाटर रिजोर्स बढ़ाने की शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर एन ओ सी) दिया जाता है। यदि निरीक्षण टीम के इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।



जारी दिनांक: 24/11/2021

  
Principal  
Maharishi Vidya Mandir  
Raigarh (C.G.)

निरीक्षण  
द्वारा जारी किया  
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ  
नगर सेना एवं आपातकालीन सेवाएँ, रायपुर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर